

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

BRDA(HQ)-PMGSY-1654/2019 - ७३२ /पटना, दिनांक- २१/०४/२०२०

संजय दुबे, भाषप्र०स०  
मंत्र सचिव।

महलेखाकार, बिहार  
वैद्यन्द पटेल पथ, पटना।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मधुबनी जिला के Bisfi प्रखंड के Package No. BR-21R-181, Bisfi Singhia पथ जिसकी पुनरीक्षित लम्बाई 7.703 कि०मी० तथा पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु० 708.49 लाख (सात करोड़ आठ लाख उनचास हजार रुपये) मात्र है, पर पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत्यादेश पत्रांक सं०-५४० अनु०, दिनांक ०२.०३.२००९ के प्रधानमंत्री ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-४१६८, दिनांक-२२.०६.२००९ के आलोक में किया गया पुनरीक्षण के पश्चात बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि का व्यय राज्य योजना से किया जाना है। उपर्युक्त स्वीकृत्यादेशों के अनुसार प्रदत्त लम्बाई 7.703 कि०मी० के लिए निर्माण राशि रु० ५२६.१६ लाख एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृति निर्माण कार्य हेतु रु० २६.७६ लाख, कुल रु० ५५२.९२ लाख की प्रशासनिक स्वीकृति को उत्क्रमित करते हुए १ पुनरीक्षित लम्बाई 7.703 कि०मी० के पथ निर्माण कार्य हेतु रु० ६४३.१९ लाख एवं अनुरक्षण राशि रु० ५२६.१६ लाख कुल राशि रु० ७०८.४९ लाख (सात करोड़ आठ लाख उनचास हजार रुपये) मात्र की लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

योजना की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गयी है-

योजना के लिए कार्यपालक अभियंता से विस्तृत कार्य योजना मांगी जाये और उसके अनुरूप कार्यों को छंग से पूर्ण कराया जाये।

इस सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओं का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्गदर्शिका अनुसार योजनाओं के अनुरूप हो।

कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार मानक

स्टेलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देश के लिये किया जाना है। पथ निर्माण के लिये Pro-rata के आधार पर स्वीकृत राशि का ६० प्रतिशत का वहन भारत राज्य सरकार द्वारा एवं ४० प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित State Share के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर

योजना के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन विभाग के योजना बजटशीर्ष-४५१५ नई सड़कें एवं

योजना विभाग के अनुसार दर पर PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त हाने वाली राशि से किया जाएगा।

निर्माण के लिये मूल स्वीकृत राशि रु० ५२६.१६ लाख (निर्माण कार्य हेतु) के विरुद्ध निर्माण कार्य

५५४ लाख व्यय किया जाना प्रतिवेदित है। अतः रु० ४६६.६२ लाख के ६० प्रतिशत का वहन ग्रामीण

स्टेलेख भारत सरकार द्वारा एवं ४० प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित

State Share के माध्यम से किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संकल्प संख्या-४१६८,

दिनांक-२२.०६.२००९ की कंडिका ०५ (६) के माध्यम से लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण मूल

विभाग के अतिरिक्त लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी राज्य योजना मद ४५१५ में विभाग को

उद्द्यय एवं आवंटन से वहन किया जाएगा तथा कुल रु० ६५.३० लाख की राशि अनुरक्षण की होगी

योजना बजट ३०५४ से प्राप्त होने वाले राशि से भारित होगा। वित्तीय वर्ष २०१९-२० में अनुरक्षण मद

विभाग का रु० ९०० करोड़ का बजट उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष २०१९-२० में PMGSY योजनान्तर्गत प्रोग्राम फंड के केन्द्रांश मद के

रु० ५४०.०० करोड़ एवं राज्यांश मद के लिए रु० ४००.०० करोड़ का बजट उपलब्ध है। कुल ३१०५.३२३

करोड़ रु०३२३ में उपलब्ध है, का प्रयोग योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के कारण उत्पन्न दायित्व

के लिए किया जायेगा।

५०५०५.१२८

२०३/२०२०

- ५ ब्रांडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
- ६ कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप संबंधित कराकर एकरानामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
- ७ वित्त विभाग के संकल्प संख्या एम०-४-५३/२००७-३७५८/वि०, दिनांक-३१.०५.२०१७ के प्रावधानित विनियोजित कराकर एकरानामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
- ८ प्रावकलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- ९ योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित नियमित, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित विनियोजित कराकर एकरानामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
- १० प्रावकलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- ११ योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
- १२ संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की अंतिम तारीख तक ऑनलाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निर्देशित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- १३ विभागीय संकल्प 4168, दिनांक-२२.०६.२००९ की कंडिका ०५ (e) यथा प्रावधान अतिरिक्त व्यय के राज्य योजना मद ४५१५ में विभाग को स्वीकृत उद्व्यय एवं आवंटन से वहन किया जाना है। तदसुसार इस योजना में इस प्रावधान का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाना अपेक्षित है।
- १४ इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से संचिका संख्या BRRDA(HQ)-PMGSY- 1654/2019 के वि०-०५/टि० पर दिनांक-१४.०२.२०२० एवं पू०-१४/टि० पर दिनांक-१२.०३.२०२० को प्राप्त है।
- १५ यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- ४-४५/९४-३०१वि (२), दिनांक ३१.०१.१९९५, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (८)-११-२००५-५०९०वि (२), दिनांक १५.०९.२००५, वित्त विभाग के पत्रांक ए०-४-५३/२००७-२१९९/वि०, दिनांक-२४.०३.२०१७, के प्रावधानों एवं वित्त नियमावली, खण्ड-१ के नियम ८ के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या-मु०३०-४-PMGSY-५-१७/०९-४१६८, दिनांक- २२.०६.०९ के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-1654/2019 के पू०-..../प० पर दिनांक- ११.०२.२०२० को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

8  
20/3/2020  
(संजय दूबे)  
अपर सचिव

उपरान्त BRRDA(HQ)-PMGSY-1654/2019 नं ३२ /पटना, दिनांक- २१/०४/२०२०  
प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8  
20/3/2020  
अपर सचिव

उपरान्त BRRDA(HQ)-PMGSY-1654/2019 नं ३२ /पटना, दिनांक- २१/०४/२०२०  
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा० का० वि०, विहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रा० का० वि०/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०), ग्रा० का० वि०/संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/ कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि०, अपर मंडल, घेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8  
20/3/2020  
अपर सचिव